न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/0002

अनवान

1. श्रीमती शमशाद बेगम पत्नी निसार खान मुसलमान निवासी ग्रम चावण्ड, तहसील सराडा जिला उदयपुर ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सराडा तहसील सराडा, जिला—उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री भगवतसिंह शक्तावत, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार सराडा के समर्पण आदेश 176—178 दिनांक 14.06.2019

* निर्णय *

दिनांक— 12-04-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 अवधी अधिनयम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम चावण्ड भू.अ.नि. केजड की आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि स्थित है जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरिवर्तन करने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त व आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी में दर्ज की गई है। अपील में वर्णित भूमि में संपरिवर्तन के पांच वर्ष पूर्व से अपीलाण्ट के पुत्रों के तीन पक्के मकान बने हुए है व एक मकान के प्लॉट पर मकान बनाने हेतु पत्थरों व ईटों की पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अपीलाण्ट ने माह जून 2019 में हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि को आबादी में संपरिवर्तित कराने हेतु संपर्क किया था । अपीलाण्ट अनपढ होकर ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसका नाजायज लाभ उठाकर हल्का पटवारी द्वारा भू.माफियाओं से मिलीभगतकर अपीलाण्ट की भूमि से आगे की भूमि के खातेदारों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए अपीलाण्ट के स्वामित्व की आराजी नम्बर 2727 में से 0.0500 हे. भूमि को अपीलाण्ट की जानकारी के बिना अपीलांट के हस्ताक्षर खाली कागजों पर करा कर व मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 में संपरिर्तित की जमीं वाली भूमि को निर्माण रहित बताकर आनन फानन में दिनांक 12.06.2019 को आवेदन करना बताकर दिनांक 13.06.2019 की मौका रिपोर्ट बनाना बता 14.06.2019 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में समर्पित करवा दी गई है जो अपीलाण्ट के अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शून्य प्रभावी है। अपीलांट व संपरिवर्तन कार्यवाही से पूर्व ही यह तय हुआ था कि आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 2727 के दक्षिण पूर्वदिशा में होकर रास्ता बनाना था किन्तु हल्का पटवारी ने नक्शा ट्रेस में उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य में होते हुए दक्षिण दिशा में रास्ता दर्ज कर दिया जब कि उक्त नक्शा ट्रेस में दर्ज किये गये रास्ते पर संपरिवर्तन कार्यवाही से पूर्व ही अपीलांट के पांच वर्ष पूर्व से ही मकान बनाने हेतु पक्की पत्थरों व ईटो की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है हल्का पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस में गलत जगह रास्ता दर्शाने से अपीलाण्ट के मकान बनाने की पक्की बाउण्ड्रीवाल रास्ते में दर्ज हो गई है जिससे रेस्पोडेंट तहसीलदार सराडा द्वारा अपीलांट के पति को धारा 91 एलआरएक्ट का नोटिस जारी कर अपीलांट के स्वामित्व की भूमि पर बनी पक्की बाउण्ड्रीवाल की भूमि को अपनी बताकर अपीलांट को अतिक्रमी मान नोटिस जारी कर अपीलांट के पूर्व से बनायी हुई पक्की बाउण्ड्रीवाल को तोडने पर आमादा है जिससे जानकारी हेतु ही श्रीमान की सेवा में पेश करना आवश्यक हो गया है। अधीनस्थ तहसीलदार सराडा द्वारा आक्षेपित समर्पण आदेश दिनांक 14.06.2019 पारित करने से पूर्व धारा 55 आर.टी. एक्ट अनुसार समर्पण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणितकृत होना आवश्यक है समर्पण पत्र पर समर्पणकर्ता के व गवाहान के हस्ताक्षर व दिनांक भी अंकित नही है तथा कथित समर्पित भूमि 0.05 हे. भूमि का कब्जा भूमिधारी द्वारा प्राप्त करना भी आवश्यक है किन्तु तहसीलदार सराडा द्वारा अपीलांट के पति निसार खान को 91 एलआरएक्ट के नोटिस दिनांक 18.11.2022 को जारी किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार भूमिधारी द्वारा उक्त 0.05 हे. भूमि का अपीलांट से कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया गया था जिससे आक्षेपित समर्पण आदेश काबिल निरस्त के है। अपीलांट को रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के पति निसार खान को प्रेषित नोटिस अंतर्गत धारा 91 एलआरएक्ट का दिनांक 18.11.2022 को पेशी पर उपस्थित होने बाबत् मिलने पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में जानकारी की तो अपीलांट को अपीलांट की खातेदारी की 0.0500 हे. भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर संपूर्ण पत्रावली की नकल ली गई। नकल मिलते ही आक्षेपित आदेश की जानकारी होने पर कानूनी राय लेकर अविलम्ब अपील पेश की गई है तथा साथ में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सराडा का आक्षेपित आदेश दिनांक 14.06.2019 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता कल्पित जैन उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा दस्तोवज पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व संपरिवर्तन कार्यवाही से पूर्व ही यह तय हुआ था कि आराजी नम्बर 2727 के दक्षिण पूर्वदिशा में होकर रास्ता बनाना था किन्तु हल्का पटवारी ने नक्शा ट्रेस में उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य में होते हुए दक्षिण दिशा में रास्ता दर्ज कर गलत समर्पण करा लिया गया है, तहसीलदार सराडा द्वारा आक्षेपित समर्पण आदेश दिनांक 14.06.2019 पारित करने से पूर्व धारा 55 आर.टी. एक्ट अनुसार समर्पण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणितकृत होना आवश्यक है समर्पण पत्र पर समर्पणकर्ता के व गवाहान के हस्ताक्षर व दिनांक भी अंकित नही है तथा कथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested

समर्पित भूमि 0.05 हे. भूमि का कब्जा भूमिधारी द्वारा प्राप्त करना भी आवश्यक है , अतः गलत रूप से अपनी भूमि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में समर्पित किये जाने वाले आदेश को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि समर्पण अपीलाण्ट द्वारा अपनी इच्छा से किया गया है, शपथ पत्र मय स्टाम्प लिख कर दिया है। तहसीलदार द्वारा समर्पण हेतु की गई कार्यवाही नियमानुसार होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरितवर्तित करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में आ.न. 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी दर्ज की गई है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा संपरितवर्तन की कार्यवाही के दौरान भूमि समर्पण हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार सराडा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समर्पण का आवेदन प्राप्त कर पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि को समर्पण की कार्यवाही की गई जिसके आधार पर भूमि का समर्पण आदेश दिनांक 176–178 दिनांक 14.06.2019 पारित किया, इसी के आधार पर नामान्तरकरण पारित होकर भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हो चुकी है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा स्वंय अपनी भूमि को संपरिवर्तन कराने की कार्यवाही के दौरान भूमि समर्पण करायी है जो कि संपरितर्वन का ही हिस्सा है, अब भूमि संपरितवर्तन होकर आबादी दर्ज हो चुकी है एसी स्थिति में संपरितवर्तन होने के पश्चात अपीलाण्ट का कथन है कि समर्पण धोके से कराया गया है यह अपने आप में स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा संपरितवर्तन को निरस्त कराने की कोई प्रार्थना नही की गई है केवल मात्र समर्पण आदेश को निरस्त कराना चाहते है जो संभव नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो समर्पण आदेश जारी किया गया है वह नियमानुसार सही किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested